# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण कं....

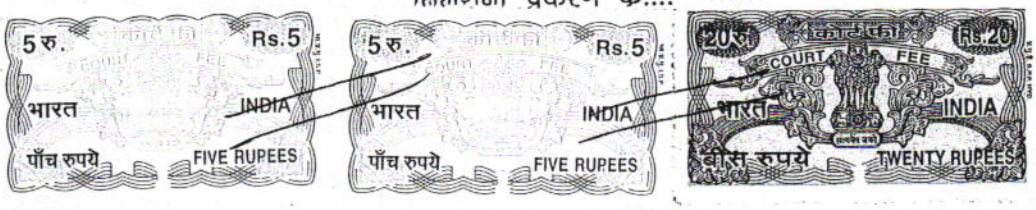

निग (3769-II/15

1- अच्छेलाल कुशवाहा तनय शिवकुमार कुशवाहा

2- जगदीश प्रसाद कुशवाहा तनय शिवदास कुशवाहा

3- चन्द्रपाल कुशवाहा तनय स्व0 रामकुमार कुशवाहा सभी निवासी ग्राम चंदई तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना (म0प्र0)............आपत्तिकर्ता/निगराकारगण

बनाम्

रावेन्द्र कुमार कुशवाहा तनय राममिलन कुशवाहा निवासी ग्राम चंदई तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना (म0प्र0)...................आवेदक/गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्व कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कं0 10 अ 12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15.07.20.15 जिसके आधार पर त्रृटि पूर्ण सीमांकन की पुष्टि की गई है ।

अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 19-11-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19/11/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
19-11-15 एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर,

## निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक/गैर निगराकार ने मौजा चंदई तहसील बिरसिंहपुर जिला-सतना (म0प्र0) में स्थित आ0नं0-204 रकवा 0.104 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र माननीय

कमशः2

अच्छेलाल    चन्द्र पाल कुशवाहा

नि.अ. जगदीश प्रसाद

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

---

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** R 3769[illegible]-2/2015 **जिला** सतना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br><br>अच्छेलाल / राजेन्द्र कुमार | पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 2-12-2015 | [illegible] आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया ।<br><br>आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया।<br>विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह कहा कि सीमांकन 204/2 पर न करके आवेदक के सर्वे कमांक 73 पर सीमांकन कर दिया जिसे निरस्त किया जाने का निवेदन करते हुए निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।<br>अभिलेख के अनुसार राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 15.7.15 के बाद दिनांक 29.7.15 को उनके द्वारा निगराकार की आपत्ति ली जाना, एवं दिनांक 30.7.15 को पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिया जाना प्रकट होता है। सूचना पत्र में आवेदक कमांक 8, 9, 10 के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं पंचनामे तथा निगरानी मेमो के पृष्ठ 5 के पैरा 5 से यह स्पष्ट होता है कि वे मौके पर उपस्थित नहीं थे। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता के तर्कों की पुष्टि अभिलेख अवलोकन से हो रही है।<br>ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक15.7.2015 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभय पक्ष की तथा संबंधित हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में स्थायी बन्दोबस्ती सीमाचिन्हों को आधार मान कर सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें। इसके साथ ही आवेदकगण एवं अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वे स्वयं संबंधित पीठासीन / माह के अंदर उपस्थित होकर सीमांकन कार्यवाही में सहयोग करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय कों भेजी जावे। प्रकरण दा.रि.हो ।<br><br>सदस्य | |